

प्रेषक :-

एच.एस. मोहन्ता, (भा.व.से.)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,
लिंक रोड नं. 3, ई-5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषय:- सिंगरौली जिले में गोण्ड देवसर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अंतर्गत ROW में पाईप लाईन बिछाने हेतु 4.8057 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित, सिंगरौली को उपयोग पर देने बाबत। (FP/MP/WATER/151757/2022)

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक/6-MPB 016/2023-BHO/ दिनांक 21.02.2025

—0—

कृपया उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा आपने प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व 02 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है। आपके द्वारा चाही गई जानकारी का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	बिन्दु	प्रतिवेदन
1	The DFO and User Agency shall submit a documentary evidence of legal sanctity of the habitations to which drinking water supply is proposed and ensure that drinking water is supplied solely to the authorized (Revenue or FRA) settlements. The details of authorized settlements may also be submitted.	दस्तावेजी प्रमाण पत्र सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग ने पत्र दिनांक 27.02.2025 से जानकारी दी गई है, जो ऑनलाइन पोर्टल के भाग-1 के Additional information Details कॉलम के बिन्दु क्रमांक 10 पर जानकारी अपलोड है।
2	The User Agency shall present the complete KML file of Gond Devsar Multi Village Rural Water Supply, clearly depicting all components (i.e. WTP, OHT, Distribution network, etc) in forest as well as non-forest area in different colours to the Regional Empowered Committee.	वन मण्डल अधिकारी, सिंगरौली ने अपने पत्र क्रमांक/3001 दिनांक 13.05.2025 से अवगत कराया है कि प्रकरण में संशोधित क्षेत्रफल 1.656 हेक्टेयर पाईप लाईन का रकबा हो गया है, जिसकी KML file पोर्टल में अपलोड कर दी गई है। वन मण्डल अधिकारी का पत्र TimeLine Details के बिन्दु क्रमांक 65 दिनांक 14.05.2025 अपलोड है।

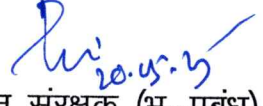
अतः प्रकरण में आपके द्वारा चाही गई जानकारी की पूर्ति हो गई है। कृपया प्रकरण में 1.656 हेक्टेयर की सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।

भवदीय


(एच.एस. मोहन्ता)

पृ. क्रमांक/एफ-5/1207/2022/10-11/1528 भोपाल, दिनांक 20-5-25
प्रतिलिपि:-

1. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), रीवा वृत्त, रीवा, मध्यप्रदेश।
 2. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, सिंगरौली, मध्यप्रदेश।
 3. महाप्रबंधक, जल निगम मर्यादित, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, सिंगरौली, मध्यप्रदेश।
- की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल